

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुग्धर कँवर बनाम विरज कँवर वगै०

किस्म मुकदमा:-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर:-169/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
08-12-2025	<p>प्रार्थीया की ओर से श्री वेणुप्रसाद कुडी, एड० ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निवेदन पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 12.12.2025 को पेश हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	
12-12-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया मय पक्षकार ने उपस्थित होकर अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर विद्वा कर लिये जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>	

